भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न सं0: 1075

दिनांक: 29 जुलाई, 2015

**राज सहायता प्राप्त मिट्टी का तेल**

**1075. डा॰ प्रभाकर कोरेः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी राज्यों को जारी किए जाने वाले राज-सहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की कुल मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुल राज सहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का 40 प्रतिशत काला बाजार में बेचा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने काला बाजारी रोकने और जरूरतमंद लोगों को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

(क): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2015-16 की दूसरी तिमाही तक) के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल का राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश-वार ब्‍यौरे अनुलग्‍नक में दिए गए हैं।

(ख): राष्‍ट्रीय अनुप्रयुक्‍त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की अक्‍तूबर, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार पीडीएस मिट्टी तेल की कुल बिक्री का 38.6% कुल रिसाव होने का अनुमान लगाया गया है तथा वर्ष 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2013-14 के लिए किए गए पीडीएस मिट्टी तेल के कुल आबंटन के 41% के रिसाव का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा मिट्टी तेल वितरकों को दी जाने वाली मिट्टी तेल की आपूर्ति एक्‍स-एमआई (विपणन संस्‍थापन) आधार पर की जाती है। राज्‍य के अंदर राशन की दुकानों/खुदरा विक्रेताओं के माध्‍यम से राशन कार्ड धारकों को किए जाने वाले पीडीएस मिट्टी तेल का आगे का वितरण राज्‍य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। राज्‍य सिविल आपूर्ति प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उठाया गया उत्‍पाद उचित दर की दुकानों और अभीष्‍ट लाभार्थियों को सुपुर्द किया गया है।

पीडीएस मिट्टी तेल की कालाबाजारी/अपमिश्रण को रोकने के लिए, केन्‍द्र सरकार ने अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (उपयोग को सीमित करने तथा अधिकतम मूल्‍य निर्धारण) आदेश, 1993 में प्रावधान किए हैं, जिसके अनुसार डीलरों को सरकार अथवा ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्‍य पर पीडीएस मिट्टी तेल बेचना होता है तथा एक सुस्‍पष्‍ट स्‍थान पर भंडार के स्‍थान सहित कारोबार के स्‍थान पर स्‍टॉक-सह-मूल्‍य बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना होता है। इसके अलावा, जारी किए गए पीडीएस मिट्टी तेल को नीला रंग दिया जाता है ताकि पीडीएस मिट्टी तेल का गैर-पीडीएस उपयोग होने पर उसका सरलता से पता लगया जा सके। इस नियंत्रण आदेश के तहत, राज्‍य सरकारों को भी शक्तिप्रदत्‍त बनाया गया है ताकि काला बाजारी तथा अन्‍य अनियमितताओं में संलिप्‍त पाए जाने वालों के विरूद्ध वे कार्रवाई कर सकें।

ओएमसीज के फील्‍ड अधिकारी मिट्टी तेल डीलरशिपों का निरीक्षण करते हैं तथा सरकारी /ओएमसीज विनियमों की गैर-अनुपालना, अधिक प्रभार लेने, अनधिकृत खरीद तथा स्‍टॉक परिवर्तन जैसी अनियममितताओं की जांच करते हैं। किसी अनियममितता की स्थिति में, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

ओएमसीज ने वेब पोर्टल तैयार किया है जिसके माध्‍यम से पीडीएस मिट्टी तेल टैंक ट्रकों की आवाजाही को सार्वजनिक तौर पर देखा जा सकता है। इसमें प्रेषण इकाईयों/डिपुओं/ संस्‍थापनाओं से विभिन्‍न डीलरों तक पीडीएस मिट्टी तेल ले जाने वाले टैंक ट्रकों के ब्‍यौरे के साथ-साथ वेबसाइटों पर वास्‍तविक समय आधार पर इनके नाम, बीजक संख्‍या, उत्‍पाद की मात्रा, डिस्‍पैच का समय, टैंक ट्रक नंबर आदि भी उपलब्‍ध रहता है।

\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **‘’राजसहायता प्राप्‍त मिट्टी का तेल’’ के संबंध में दिनांक 29.07.2015 को डा. प्रभाकर कोरे द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संखया 1075 के भाग (क) के उत्‍तर में संदर्भित अनुलग्‍नक** | | | | | |
|  | **पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष दूसरी तिमाही के लिए राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश-वार पीडीएस मिट्टीतेल का आबंटन (किलो लीटर में)** | | | | |
| **क्रम सं.** | **राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश** | **2015-16 (दूसरी तिमाही तक)** | **2014-15** | **2013-14** | **2012-13** |
| 1 | अंडमान व निकोबार | 2880 | 6408 | 6912 | 7236 |
| 2 | आन्‍ध्र प्रदेश | 133344 | 320580 | 465996 | 465996 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 5160 | 11460 | 11479 | 11556 |
| 4 | असम | 160680 | 327924 | 327966 | 328152 |
| 5 | बिहार | 398352 | 812964 | 814068 | 817212 |
| 6 | चण्‍डीगढ़ | 1488 | 3324 | 3528 | 3960 |
| 7 | छत्‍तीसगढ़ | 86136 | 175788 | 180072 | 186240 |
| 8 | दादर व नागर हवेली | 912 | 2040 | 2280 | 2280 |
| 9 | दमन व दीव | 408 | 876 | 876 | 912 |
| 10 | दिल्‍ली | 0 | 0 | 53424 | 53904 |
| 11 | गोवा | 2568 | 5244 | 5244 | 5460 |
| 12 | गुजरात | 328680 | 670752 | 673416 | 673584 |
| 13 | हरियाणा | 44160 | 90144 | 91260 | 95076 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 12072 | 24636 | 24660 | 25140 |
| 15 | जम्‍मू व कश्‍मीर | 35256 | 90198 | 94698 | 94698 |
| 16 | झारखंड | 131280 | 267936 | 268704 | 269988 |
| 17 | कर्नाटक | 254904 | 522768 | 522888 | 522888 |
| 18 | केरल | 58896 | 120180 | 120192 | 125196 |
| 19 | लक्षद्वीप | 984 | 1008 | 1008 | 1008 |
| 20 | मध्‍य प्रदेश | 294912 | 625572 | 625668 | 625980 |
| 21 | महाराष्‍ट्र | 313128 | 695844 | 730464 | 945720 |
| 22 | मणिपुर | 11688 | 24960 | 24967 | 25344 |
| 23 | मेघालय | 12720 | 25944 | 25944 | 25944 |
| 24 | मिजोरम | 3336 | 7416 | 7800 | 7836 |
| 25 | नगालैंड | 8376 | 17088 | 17100 | 17100 |
| 26 | ओडीसा | 194856 | 397680 | 398988 | 399768 |
| 27 | पुडुच्‍चेरी | 2136 | 4344 | 4440 | 4668 |
| 28 | पंजाब | 42696 | 89664 | 90132 | 103884 |
| 29 | राजस्‍थान | 247584 | 505284 | 508764 | 510960 |
| 30 | सिक्‍कम | 2856 | 6348 | 6348 | 6348 |
| 31 | तमिलनाडु | 170856 | 348696 | 348696 | 482244 |
| 32 | तेलेंगाना | 87240 | 145404 | 0 | 0 |
| 33 | त्रिपुरा | 19200 | 39180 | 39180 | 39180 |
| 34 | उत्‍तर प्रदेश | 778800 | 1589388 | 1590000 | 1592148 |
| 35 | उत्‍तराखंड | 17592 | 35916 | 36168 | 37932 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 471672 | 962580 | 963528 | 964464 |
|  | **कुल आबंटन** | **4337808** | **8975538** | **9086858** | **9480006** |